तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **वाद पत्र संख्या 44 / 2016 GCMS NO. 2016/00721** **उनवानी रतनलाल बनाम इमली आदि** **अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 व** **धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर आये। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 7 से 11, 17, 18 की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 7 से 11, 17, 18 की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 7 से 11, 17, 18 की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादी का हस्तगत वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.) (सविता शर्मा) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) **उपखण्ड अधिकारी, खेतडी**	